सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 248 राँची ,गुरुवार

8 ज्येष्ठ 1936 (श०)

29 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 मई, 2014

1. आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 29/रा0गो0, दिनांक 06.11.2001 एवं पत्रांक-92/रा0गो0, दिनांक 08.08.2003

2. अंचलाधिकारी, जरीडीह, बोकारो का पत्रांक-606, दिनांक 13.12.2000 एवं पत्रांक-3(मु0)/रा0, दिनांक 19.02.2002

3. उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 1649, दिनांक 18.07.2003

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-845, दिनांक 02.02.2002; संकल्प संख्या-4175, दिनांक 09.08.2006; संकल्प संख्या-3120, दिनांक 03.04.2012 एवं पत्रांक 3034, दिनांक 05.04.2013

संख्या-5/आरोप-1-434/2014 का.- 4622--श्री निर्मल कुमार टोप्पो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-659/03, गृह जिला- पलामू) के विरूद्ध इनके अंचलाधिकारी, जरीडीह, बोकारो के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 29/रा0गो0, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है। श्री टोप्पो के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. आरालडीह पंचायत के अन्तर्गत ग्राम- गझण्डी, टोला- डुमरडीह में इन्दिरा आवास का प्रथम किस्त के भुगतान में 1,100/- (एक हजार एक सौ) रूपये मात्र कमीशन के रूप में काटने की शिकायत 12 (बारह) लाभान्वितों द्वारा की गई।

2. लाभुकों द्वारा बताया गया कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से कमीशन की राशि वसूली करवाते हैं।

3. जब कमीशन की राशि वसूल करने की बात की शिकायत की गई, तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 को उप विकास आयुक्त, बोकारो के कक्ष में लाभुकों द्वारा काटी गई राशि को प्राप्त करने का बयान दिया गया। इससे यह प्रमाणित हुआ कि लाभुकों से कमीशन के रूप में राशि काटी गई थी।

4. दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 को अभिकरण के सहायक परियोजना पदाधिकारी के समक्ष कर्मचारी श्री आनन्दी राम द्वारा कबूल किया गया है कि आपके कहने पर कमीशन की राशि काटी गई है।

5. लाभुकों द्वारा कमीशन लेने की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी के समक्ष बयान देने के बाद पत्र द्वारा लाभुकों को उच्च पदाधिकारियों का भय दिलाकर चयन को ही रद्द करने की धमकी दी। इससे आपकी संलिप्तता प्रमाणित होती है, जैसा कि आपका पत्रांक-606, दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 से स्पष्ट है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-845, दिनांक 2 फरवरी, 2002 द्वारा श्री टोप्पो से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री टोप्पो द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण पत्रांक- 3(मु0)/रा0, दिनांक 19 फरवरी, 2002 द्वारा समर्पित किया गया है।

आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-92/रा0गो0, दिनांक 8 अगस्त, 2003 एवं उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 1649, दिनांक 18 जुलाई, 2003 द्वारा श्री टोप्पो के स्पष्टीकरण पर अपना मन्तव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री टोप्पो के स्पष्टीकरण को अग्राह्य प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या-4175, दिनांक 9 अगस्त, 2006 द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः, अनुवर्ती विभागीय संकल्प संख्या-3120, दिनांक 3 अप्रैल, 2012 द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक 421, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री टोप्पों के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए इन्हें दोषी माना गया तथा विभागीय पत्रांक 3034, दिनांक 5 अप्रैल, 2013 द्वारा श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात् उन्हें स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री टोप्पो द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया। फलतः, श्री टोप्पों के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा की गई।

चूँकि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में श्री टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, इसलिए श्री टोप्पो को **भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी** दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 248–50 ।